

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-659 / 2012

संस्थित दिनांक –08.08.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// विरुद्ध //

संतोष पिता स्व. रामप्रसाद रहांगडाले, उम्र 24 वर्ष, जाति पंवार,
निवासी डोंगरिया, थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-07 / 02 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506(भाग-दो) का आरोप है कि उसने घटना दिनांक-01.08.2012 को समय 12:00 बजे प्रार्थी के खेत जाने के रास्ते डोंगरिया अंतर्गत थाना बिरसा में लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द "मादरचोद" उच्चारित कर फरियादी लक्ष्मण तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, फरियादी लक्ष्मण के बाएं हाथ की कलाई, कोहनी में कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा उसको संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि घटना दिनांक-01.08.12 को समय 12:00 बजे ग्राम डोंगरिया स्थित थाना बिरसा अंतर्गत प्रार्थी लक्ष्मण खाना खाकर अपने खेत अपने दो बोदा लेकर जा रहा था, तभी उसके बोदा आरोपी संतोष पंवार के खेत में चले गए। उसी बात को लेकर संतोष बोला की मादरचोद फसल की नुकसानी कराता है, कहकर हाथ में रखी कुल्हाड़ी से लक्ष्मण को मारा, जिससे उसके बाएं हाथ की कलाई कोहनी के पास कटकर खून निकला, आरोपी ने गाली बकते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी लक्ष्मण के द्वारा थाना बिरसा में की गई, जिस पर पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-92/2012, धारा-294, 324, 506-बी, भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों

के कथन लिये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506(भाग-दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। विचारण के दौरानी फरियादी लक्ष्मण ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को धारा-294, 506(भाग-दो) भा.द.वि. के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा शेष अपराध धारा-324 भा.द.वि. का विचारण पूर्ण किया गया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक-01.08.2012 को समय 12:00 बजे ग्राम डोंगरिया थाना बिरसा अंतर्गत आहत लक्ष्मण के बाएँ हाथ की कलाई, कोहनी में कुल्हाड़ी से मारकर कर स्वेच्छया उपहति कारित ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी/आहत लक्ष्मण (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना आज से लगभग दो साल पहले की है। आरोपी से उसका मौखिक वाद-विवाद हो गया था, एक-दूसरे से लामा-झूमी होकर पटका-पटकी हो गई थी, जिससे उसके हाथ में चोट लगी थी। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना बिरसा में की थी, जो प्रदर्श पी-2 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बिरसा में हुआ था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-3 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित करने पर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने उसकी फसल नुकसानी होने के कारण उसे कुल्हाड़ी से बाएँ हाथ की कोहनी में मार दिया था। साक्षी ने उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी-4 में पुलिस को कुल्हाड़ी से मारने वाली बात बताए जाने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में मात्र आरोपी से वाद-विवाद होने और झूमा-झपटी से उसके हाथ में चोट आने का तथ्य प्रकट करते हुए कथित मारपीट में धारदार वस्तु व कुल्हाड़ी का उपयोग किये जाने से इंकार कर अभियोजन का महत्वपूर्ण समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

6— ओमप्रकाश (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी एवं प्रार्थी दोनों को जानता है। घटना आज से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व दिन के 12 बजे खेत की बात है। प्रार्थी का बोदा आरोपी के खेत में चला गया था, जिस पर दोनों झगड़ने लगे थे। उसने जाकर बीच-बचाव किया था। प्रार्थी के हाथ से खून बह रहा था और आरोपी का भी खून बह रहा था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित करने पर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने कुल्हाड़ी से आहत लक्ष्मण

को मारकर उपहति कारित की थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय प्रार्थी और आरोपी एक-दूसरे को पटक रहे थे, जिस कारण उसके हाथ से खून बह रहा था और आरोपी के हाथ से भी खून बह रहा था। इस प्रकार साक्षी ने घटना के समय आरोपी के द्वारा कथित कुल्हाड़ी से आहत लक्ष्मण को मारपीट किये जाने के तथ्य से इंकार किया है।

7— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी श्यामलाल (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी और प्रार्थी को पहचानता है। घटना लगभग एक वर्ष से अधिक समय की है। आरोपी और प्रार्थी का खेत में झगड़ा हो गया था। दोनों के बीच छीना-छपटी हो रही थी। इसके अलावा दोनों के बीच में कोई घटना नहीं हुई। पुलिस ने उसके पूछताछ कर बयान लिखे थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने आरोपी के द्वारा आहत लक्ष्मण को कुल्हाड़ी से मारने से इंकार किया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया है।

8— अनुसंधानकर्ता अशोक राणा (अ.सा.4) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 01.08.12 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सूचनाकर्ता लक्ष्मण की मौखिक रिपोर्ट पर प्रधान आरक्षक लखन भीमटे के द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 92/12 धारा 294,324,506 बी भा.द.वि के तहत लेख किया था, जो प्रदर्श पी-2 है, जिस पर प्रधान आरक्षक लखन भीमटे के हस्ताक्षर हैं। उक्त हस्ताक्षर को वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 01.08.12 को लक्ष्मण की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी लक्ष्मण के कथन एवं दिनांक 02.08.12 को ओमप्रकाश, श्यामलाल के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक 04.08.12 को आरोपी संतोष से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 अनुसार साक्षियों के समक्ष बांस का बेट लगी हुई एक कुल्हाड़ी जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षियों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मामले में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है। यद्यपि मामले के महत्वपूर्ण साक्षीगण ने आहत को कथित कुल्हाड़ी से मारपीट किये जाने का समर्थन न किये जाने से उक्त साक्षी की समर्थनकारी साक्ष्य का अधिक महत्व नहीं रह जाता है।

9— प्रकरण में स्वयं आहत लक्ष्मण (अ.सा.2) ने उसे घटना के समय झूमा-झपटी में चोट कारित होना और आरोपी के द्वारा कथित रूप से कुल्हाड़ी से मारकर उपहति कारित करने से इंकार किया गया है। इसके अलावा घटना के सभी चक्षुदर्शी साक्षी ने भी आरोपी के द्वारा तथाकथित कुल्हाड़ी या धारदार वस्तु से आहत लक्ष्मण को उपहति कारित किये जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। इस प्रकार अभियोजन मामलों में इस साक्ष्य का अभाव है कि आरोपी ने घटना के समय आहत लक्ष्मण को कुल्हाड़ी

या धारदार वस्तु से मारकर उपहति कारित की थी।

10— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आहत लक्ष्मण को कुल्हाड़ी से मारकर स्वैच्छया उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

11— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

12— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक कुल्हाड़ी बांस का बेट लगी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट